ग्राम पंचायत चौड़ू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 }kjk पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चौड़ू, विकास खण्ड uknkSu, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग }kjk किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री जय प्रेम सिंह	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्री सूरम सिंह	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री अरुण दत्त शर्मा	01/04/2015 से लगातार।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चौड़ू, विकास खण्ड uknkSu, के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹`)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	17.47
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.36
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.95

4	11	मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना	1.08
5	12(1)	ewY;kadu के बिना भुगतान करना	**0.59**
6	12(2)	SJVN (सतलुज जल विद्युत निगम धौला सिद्ध परियोजना) से बिना ewY;kadu के भुगतान करना	2.06
7	13	SJVN (सतलुज जल विद्युत निगम धौला सिद्ध परियोजना) से भुगतान की गई राशी के मूल बिल अभिलेख में न होना	0.16
8	14	स्वीकृति अनुसार अनुदान राशि प्राप्त न करना	0.03
9	15	तकनीकी सहायक द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मुरम्मत कार्य करवाना	2.90
10	16	13TH FC अनुदान में प्राप्त ब्याज राशि को पंचायत निधि में हस्तांतरण करना	0.67

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चौडू, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) }kjk दिनांक 12-6-2018 से 15-6-2018 तथा दिनांक 2-7-2018 से 3-7-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

अवधि	आय	व्यय
2015-16	5/2015	7/2015
2016-17	3/2017	2/2017
2017-18	7/2017	1/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी }kjk उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत }kjk अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व

उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम चौड़ू, विकास खण्ड uknkSu, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹`6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:172/2018 दिनांक 3/07/2018 के }kjk अनुरोध किया गयाI

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चौड़ू, }kjk प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत:

ग्राम पंचायत चौड़ू, के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	290209.00	19215.00	309424.00	48777.00	260647.00
2016-17	260647.00	104821.00	365468.00	43226.00	322242.00
2017-18	322242.00	89286.00	411528.00	66322.00	345206.00

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत चौड़ू, के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है: -

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	340061.00	2611878.00	2951939.00	2309438.00	642501.00
2016-17	642501.00	3353270.00	3995771.00	2537765.00	1458006.00
2017-18	1458006.00	3859421.00	5317427.00	3570027.00	1747400.00

2. ग्राम पंचायत }kjk अवधि 01.04.2015 से 31.3.2016 तक की मनरेगा रोकड़ वही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। मगर वित्तीय स्थिति के लिए मनरेगा से संबंधित आय-व्यय की

राशी मनरेगा FTO से ली गयी अतः रोकड़ वही प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ वही आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए।

5 बैंक समाधान विवरणीः-

स्व स्त्रौतः

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेषः `345206

अनुदानः

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेषः `1747400

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में
दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेषः `2092606

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेषः **`2092256**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : `350

कुल योग: **`2092606**

अन्तर की राशिः शून्य

6 अनुदान ₹`17.47 yk[k का उपयोग न करनाः-

पंचायत }kjk अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹`1747400 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत }kjk विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय fd;k tkuk visf{kr FkkA अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये vuqnku dh jkf”k को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 पंचायत राजस्व `0.36 yk[k वसूली हेतु शेषः-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/2018 को गृहकर के रूप में `36200 वसूली हेतु शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए rnkuqlkj visf{kr अनुपालना से अंकेक्षण को Hkh अवगत करवाया जाए।

(1) गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹`)	गृहकर की मांग (₹`)	योग(₹`)	प्राप्ति(₹`)	वसूली हेतु शेष राशि ₹`)
2015-16	0	35700	35700	0	35700

2016-17	35700	35900	71600	71500	100
2017-18	100	36600	36700	500	36200

(2) भू-राजस्व

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व की dksbZ Hkh राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें।अतः अब बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित की जाए rnkuqlkj अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव }kjk फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत }kjk अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना `1.95 yk[k स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 }kjk स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत }kjk `195190/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इस izdj.k को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 157/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 10/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सूचित किया है कि “ग्राम पंचायत वर्तमान में निर्माण कार्य की मदों का क्रय निविदाएँ vkefU=r djus ij किया जा रहा है ”जो कि अनुचित है I अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	वो0सं0	मास	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि `
GENERAL CASH BOOK						
1	65	1/2018	बजरी	425cft	14.60	6205
			रेत	425cft	23.50	9988
			रेत,बजरी ढुलाई	10 ट्राली	800	8000
			पत्थर	2 ट्रोली	1900	3800
			सीमेंट ढुलाई	2 फेरे	500	1000
2	64	1/2018	बजरी	765cft	14.60	11169
			रेत	765cft	23.50	17928
			रेत,बजरी ढुलाई	18ट्रोली	600	10800
			पत्थर	9 ट्रोली	1700	15300
3	66	1/2018		250sft	12	3000
MNREGA						
4	84	1/2018	बजरी	4 ट्राली	2200	8800
			रेत	3 ट्राली	3000	9000
5	94	1/2018	रेत	3 ट्राली	2700	8100
			बजरी	3 ट्राली	2200	6600
			पत्थर	1 ट्राली	2000	2000
6	95	1/2018	रेत	10ट्राली	3000	30000
			बजरी	12ट्राली	2200	26400
			पत्थर	9 ट्राली	1900	17100
					योग	**195190**

10 मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच –एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार “ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी के क्रय के lUnHkZ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार ’’ परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण नीचे दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है |अत: इस बारे में नियमानुसार fLFkfr Li"V djsaA

क्र. स.	**वोउचर संख्या:**	**मास**	**सामग्री का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि `**
MNREGA						
1	84	1/2018	बजरी	4 ट्राली	2200	8800
			रेत	3 ट्राली	3000	9000
2	94	1/2018	रेत	3 ट्राली	2700	8100
			बजरी	3 ट्राली	2200	6600
			पत्थर	1 ट्राली	2000	2000
3	95	1/2018	रेत	10 ट्राली	3000	30000
			बजरी	12 ट्राली	2200	26400
			पत्थर	9 ट्राली	1900	17100
					योग	**108000**

11 ewY;kadu (Assessment) के बिना भुगतान करना :-

(1) प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के }kjk जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की ewY;kadu (assessment) के पश्चात ही पंचायत }kjk भुगतान किया जाएगा | परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत }kjk `59184 का भुगतान ewY;kadu (assessment) के बिना किया गया जो कि अनुचित होने के साथ प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार }kjk जारी निर्देशों की ljklj अवहेलना है I अत: इस अनियमितता बारे उचित Li"Vhdj.k प्रस्तुत करते हुए ewY;kadu (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए |

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
GENERAL CASH BOOK			
36	7/2015	मुरम्मत सड़क टोरु दी पुखर से दुनी चंद के घर तक	1000
69	1/2018	मुरम्मत महिला मंडल बढ़ेतर	2500
13TH&14TH FC			
13/1	7/2015	निर्माण नाली नजदीक कुआँ जमनोती	3975
15	7/2015	निर्माण नाली नजदीक कुआँ जमनोती	800
13/3	7/2015	निर्माण नाली व रास्ता कमल सिंह के घर के पास जंगल जीहन	8215
17	7/2015	निर्माण नाली व रास्ता कमल सिंह के घर के पास जंगल जीहन	1534
51	1/2018	निर्माणसड़क महिला मंडल से ज्ञान चंद के घर की ओर	19495
52	1/2018	निर्माणसड़क महिला मंडल से ज्ञान चंद के घर की ओर	1890
57	1/2018	निर्माण कुआँ बढ़ेतर	4177
58	1/2018	निर्माण कुआँ बढ़ेतर	405
49/1	1/2018	मुरम्मत रास्ता गाँव अम्लेहड़ू	1392
63	1/2018	मुरम्मत रास्ता NH से कल्याण सिंह के घर की ओर	2785
64	1/2018	मुरम्मत रास्ता NH से कल्याण सिंह के घर की ओर	324
67	1/2018	मुरम्मतसम्पर्क मार्ग जंजघर से पुखर की और गाँव टिकरु बरोटा	9747
68	1/2018	मुरम्मतसम्पर्क मार्ग जंजघर से पुखर की और गाँव टिकरु बरोटा	945
		योग	**59184**

(2) SJVN(सतलुज जल विद्‌युत निगम धौला सिद्ध परियोजना) से बिना ASSESMENT के भुगतान करना :--

ग्राम पंचायत }kjk सतलुज जल विद्‌युत निगम धौला सिद्ध परियोजना से" **निर्माण कार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पुस्तकालय भवन** " परनिम्नानुसार व्यय किया गया परन्तु यह भुगतान बिना ASSESMENT किया गया जो कि अनुचित होने के साथ

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार }kjk जारी निर्देशों की अवहेलना है | इस izdj.k को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 158/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 11/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सूचित किया है कि " SJVN के अंतर्गत पंचायत को कार्य करवाने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है I पंचायत }kjk कार्य करवाने के लिए पहले अनुमान राशि का विवरण दिया जाता है उसी कार्य को राशी स्वीकृत होने के उपरांत करवाया जाता है I परियोजना अधिकारी को कार्य करने के उपरांत सभी बिलों व मस्टरोल की फोटोप्रति सलंग्न की जाती है I SJVN }kjk कार्य का ewY;kadu करने के उपरान्त अंतिम किश्त दी जाती है "I अत: करवाए गए कार्यके मूल्यांकन बारे SJVN से प्रमाण पत्र लिया जाए अन्यथा assessment के बिना किया गया भुगतान जो कि अनुचित होने के साथ प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार }kjk जारी निर्देशों की ljklj अवहेलना है I अत: इस अनियमितता बारे उचित Li"Vhdj.k प्रस्तुत करते हुए ewY;kadu (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए |

बा. सं.	**मास**	**विवरण**	**राशि**
1	7/2015	मस्टरोल	15162
2	7/2015	मस्टरोल	15884
3	7/2015	सीमेंट ढुलाई	26880
4	7/2015	रेत, बजरी ढुलाई	33000
5	7/2015	सरिया	47660
6	7/2015	बिजली फिटिंग	15947
7	7/2015	ग्लेज दरवाजे	51293
		योग	**205826**

12 SJVN (सतलुज जल विद्दुत निगम धौला सिद्ध परियोजना) से भुगतान की गई ₹`0.16 yk[k के मूल बिल अभिलेख में न होना :- -

वोउचर संख्या 6 मास7/2015 के }kjk बिजली की मदें क्रय करने के लिए₹ `15947/- का भुगतान किया गया परन्तु मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण किये गये भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है I अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹`15947 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए I

13 स्वीकृति अनुसार अनुदान राशि प्राप्त न करना :-

ग्राम पंचायत }kjk प्राप्त अनुदानों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत }kjk प्राप्त किये गये अनुदान स्वीकृति के अनुसार प्राप्त न करके कम प्राप्त किए गये जबकि ग्राम पंचायत }kjk उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक आधार पर प्राप्त राशि के जारी न करके स्वीकृत अनुदान राशि के जारी किए गए हैं जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैंI इस izdj.k को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 155/2018 दिनांक 15-6-2018 के

}kjk सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया |ग्राम पंचायत सचिव ने इस बारे अपना कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया I चर्चा में बताया गया कि खंड विकास अधिकारी कार्यालय uknkSu }kjk आकस्मिक व्यय राशि की अनुदान से कटौती करने के उपरांत अनुदान राशि जारी की जाती है I खंड विकास अधिकारी कार्यालय uknkSu }kjk आकस्मिक व्यय के रूप में अनुदानों को जारी करने से पूर्व काटी जा रही राशि की जांच करने हेतु izdj.k विशेष रूप से पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है I

अनुदानका नाम	निर्माण कार्य	दिनांक	वास्तव में प्राप्त अनुदान	स्वीकृत अनुदान	अंतर
SDP	REPAIR OF SADAK TOURU PUKHR TOWARDS HOUSE OF DUNI CHAND	29/4/2015	23000		
		30/5/2015	125000		
		TOTAL	**148000**	150000	2000
VKVNY	C/O PULLY PUJYAL NALA	14/3/2014	60000		
		30/9/2015	39000		
		TOTAL	**99000**	100000	1000
				TOTAL	**3000**

14 तकनीकी सहायक }kjk शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मुरम्मत कार्य करवाना :--

पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)7/2018 दिनांक 26/3/2011 के }kjk तकनीकी सहायकों को ₹`50000 तक की राशि के मुरम्मत कार्य करवाने के लिए ही शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं परन्तु जाँच में पाया गया कि **13TH&14TH FC** अनुदान से निम्नलिखित कार्यों का मुल्यांकन तकनीकी सहायक }kjk किया गया है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना है I इस izdj.k को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 156/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 9/2018 दिनांक 15-6-2018 के }kjk सूचित किया है कि “ मुरम्मत कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेने हेतु मामला उठाया जा रहा है ” I अत: सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति प्राप्त करके करवाए गये मुरम्मत कार्यों का fu;fefrdj.k करवाकर visf{kr अनुपालना से bl foHkkx dks Hkh अवगत करवाया जाए I

वोउचर संख्या	मास	निर्माण कार्य का नाम	भुगतान
47	1/2018	मुरम्मत रास्ता NH से तिलक राज के घर की ओर	90000
53	1/2018	मुरम्मत सड़क जम्नोती प्यार चंद के घर से प्रीतम के घर की	100000

		ओर	
55	1/2018	मुरम्मत सड़क लिंक रोड भोऊ से कुलतार के घर की ओर	100000
		TOTAL	**290000**

15 13TH FC अनुदान में प्राप्त ब्याज `0.67 yk[k को पंचायत निधि में हस्तांतरण करना:---

पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)13(L)5 दिनांक 15-2-2012 के अनुसार"**The interest earned on the various schemes shall be a part of that particular scheme fund** " जाँच में पाया गया कि13TH FC अनुदान में बची राशि खंड विकास अधिकारी कार्यालय को पूर्ण रूप से वापिस कर दी गई परन्तु इस राशी पर प्राप्त ब्याज `₹67000/- को दिनांक 28/7/2017 को **ग्राम पंचायत निधि (स्वयं स्त्रोत)** में हस्तांतरित किया गया जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना है I अत: इस अनियमितता बारे उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर visf{kr कार्यवाही करके अनुपालना से bl foHkkx dks Hkh अवगत करवाया जाए I

16 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है | परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है | इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

17 oxhZd`r lkj को तैयार न करना :---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार पंचायत को प्रारूप 8 में oxhZd`r lkj को तैयार करते हुए एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेनदेन के लिए अलग अलग प्रविष्टी की जाएगी | प्रत्येक माह के अंत में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टी की जाएगी | इस lkj को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है | परन्तु ग्राम पंचायत }kjk इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ न करने में केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वितीय स्थिती का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है | इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार oxhZd`r lkj का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए |

18 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी }kjk मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव }kjk सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्टरोल जारी करने के रजिस्टर " में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे | इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की dk;Zi)fr के आधार पर किया जाएगा | परन्तु ग्राम पंचायत }kjk प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है | मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छ: दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत }kjk इस नियम की अनुपालना नहीं की गयी तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों }kjk लगातार छ: दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है |

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों }kjk किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत }kjk ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है |

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है | मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है |

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक }kjk किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गयी राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है |

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं|

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

19 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---**

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वोउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वोउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरांत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वोउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत }kjk निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "**परिशिष्ट – ई**" में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत }kjk इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत }kjk अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी }kjk नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत }kjk निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक }kjk किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत }kjk करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

4. तकनीकी सहायक }kjk किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण पत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि }kjk की जानी अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में एसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं | यह स्पष्टतय: सिद्ध करता है कि पंचायत }kjk निर्माण

कार्यों सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है | इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए | इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए|

20 **सक्षम अधिकारी }kjk जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत }kjk अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत }kjk प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय }kjk राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के nqfoZfu;kstu की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

21 **ग्राम पंचायत }kjk मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना :---**

ग्राम पंचायत }kjk प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति) रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए |

22 **मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से lR;kfir न करवाना:-**

पंचायत }kjk लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

23 **फॉर्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करना :--**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3), 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत }kjk करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: ग्राम पंचायत }kjk करवाए गये निर्माण कार्यों में

प्रयोग की गयी मदों की मात्रा तथा राशी एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए|

24 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत }kjk कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। ysfdu अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई नहीं करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इस में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः-

सरकार }kjk खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डार रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत }kjk स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, मद की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा

शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। rnkuqlkj visf{kr अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत }kjk विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत }kjk निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

27 **प्रत्यक्ष सत्यापन**:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत }kjk भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को Hkh अवगत करवाया जाए।

28 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

29 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

gLrk@&
¼jke flag pkSgku½
lgk;d funs"kd
LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx
fgekpy izns"k] f"keyk&171009
Qksu ua0 0177&2620046

i`"Bkadu la[;k%& fQu ¼,y0,0½ ,p ¼iap½ ¼15½¼6½60@2018
[k.M&1&6726&6729 fnukad 22-10-18 f"keyk&09
Ikzfrfyfi%& fuEu dks lwpukFkZ@vko";d dk;Zokgh gsrq izsf"kr gS%&

iathd`r 1 lfpo] xzke iapk;r pkSMq] fodkl [k.M uknkSu] ftyk gehjiqj fg0iz0 dks bl vk"k; ds lkFk izsf"kr dh tkrh gS fd og bl vads{k.k izfrosnu ij mfpr dkjZokbZ djds lfVIi.k mrj bl foHkkx dks ,d ekg

ds Hkhrj Hkstuk lqfuf"pr djsaA

2 funs'kd] iapk;rh jkt foHkkx fg0iz0] dlqEiVh] f"keyk&171009 dks iSjk la[;k 1 ¼[k½ esa of.kZr vfu;ferrkvksa ij lEcfU/kr iapk;r lfpo dks vko";d dkjZokbZ djus ds fy, funsZ"k tkjh djus gsrq izsf"kr gSA

3 ftyk iapk;r vf/kdkjh] gehjiqj] ftyk gehjiqj] fg0iz0A

4 [k.M fodkl vf/kdkjh] fodkl [k.M uknkSu] ftyk gehjiqj fg0iz0A

gLRkk@&
¼jke flag pkSgku½
lgk;d funs"kd
LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx
fgekpy izns"k] f"keyk&171009
Qksu ua0 0177&2620046